

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाडमेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क रीडर/2025/6870

दिनांक - 20.08.25

प्रार्थनी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 नैनुदेवी पत्नि मेहाराम जाति जाट निवासी मेराजोगियो की बेरी बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

1 तेजाराम पुत्र दुदाराम 2 ताजाराम पुत्र जोधाराम 3 गोकलाराम पुत्र सुखाराम 4 दलाराम पुत्र कुम्भाराम 5 गजाराम 6 भोजाराम पिसरान जेठाराम उर्फ जैसाराम 7 मालुदेवी पत्नि जेठाराम उर्फ जैसाराम 8 हीरोदेवी पत्नि जीयाराम निवासी मेराजोगियो की बेरी बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाडमेर 9 तहसीलदार बाटाडू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 69/2025

दिनांक- 04/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मेराजोगियो की बेरी पटवार हल्का बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1936/1473 रकबा 2.1358 हैकटेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

दिनांक- बाडमेर
20.08.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6871-74

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाटाडू तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थनी नैनुदेवी पत्नि मेहाराम जाति जाट निवासी मेराजोगियो की बेरी बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण तेजाराम पुत्र दुदाराम निवासी मेराजोगियो की बेरी बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर
उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर